सं-ए.12018/02/2022-Estt.III

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

स्थापना-III अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली110-011

दिनांक: ....

अधिसूचना

यह मंत्रालय **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक** के मौजूदा **05 (पाँच)** पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

.2 भर्ती नियमो को अंतिम रूप देने हेतु निर्दिष्ट नोडल एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से **तीस(30)** दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणिया, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियाँ/सुझाव/टिप्पणियों को इस मंत्रालय द्वारा आवश्यकता/नियम अनुसार उचित विचार किया जाएगे।

3. टिप्पणियाँ/सुझाव अधोहस्ताक्षरी को कक्ष्य सं.330-सी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली – 110011 अथवा jaiswal.r72@nic.in में भेजी जा सकती हैं।

(राजीव जायसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 011- 23061323

अवर सचिव
Under Secretary
स्वा० एवं परि० कल्याण मंत्रालय
Ministry of H. & F. W.
नई दिल्ली/New Delhi

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, भर्ती नियमावली, 2016 में, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय भर्ती नियम, 2022 होगा।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान**-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
   क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या
   ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**– जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	*05 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-6 (35400-112400)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष की छूट। टिप्पणी 2: आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि, भारत में आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षदीप के ऊमीदवारों के लिए अंतिम तारीख)।	अनिवार्य: i मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक; ii केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्था में 2 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय है।

						टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग

शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।		पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।			से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता:जी हां (कॉलम(11 में इंगित सीमा तक)	सीधे भर्ती और प्रोन्त व्यक्तियों हेतु दो वर्ष नोट; सीधे भर्ती व्यक्तियों से दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह के अनिवार्य इंडक्शन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल है।	(i) 60% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा) /आमेलन सहित) द्वारा; (ii) 40% सीधे भर्ती द्वारा	**<u>प्रोन्नति:</u>** वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2(19900-63200/-रु.) में पुस्तकालय लिपिक जो ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिग्रीधारी हैं। नोट1: इन नियमों कीअधिसूचना की तिथि को नियमित आधार पर पुस्तकालय लिपिक के पद पर तैनात पदधारी और पुस्तकालय में डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारी भी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे। नोट 2: जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो तो उनके साथ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से कम न हो अथवा दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, और अपने ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति** (प्रोन्नति /आमेलन और स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1 उप महानिदेशक (संबन्धित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – अध्यक्ष 2. वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी/ पुस्तकालय और सूचना अधिकारी राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय-सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

			नोट 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या जिस तिथि से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू हुआ हो, से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित लागू तदरूपी ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। **<u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेलन:</u>** केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों का विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो:- I मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी है, या II मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (29200-92300 रु./-) या समकक्ष में नियमित आधार पर 6 वर्ष की सेवा रखते हों, और (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:- टिप्पणी 1 केंद्र सरकार के एक ही या किसी अन्य संगठन या विभाग में	(संबंधित) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय –सदस्य	

			इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प कालीन संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी-2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से जनवरी, 2006 या छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन मान लागू करने की तारीख से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग द्वारा अनुशंसित सिफारिशों के आधार संशोधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा किंतु इसमें वे मामले शामिल नहीं हैं जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों का समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले किसी ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतन मान बिना किसी अपग्रेडेशन के केवल सामान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड है। टिप्पणी 3: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधे क्रम में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 4: केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी ही आमेलन पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र होंगे।		